नीतीश मिश्रा
पूर्व मंत्री
बिहार सरकार

सदस्य
बिहार विधान सभा

Ref: 106/2021
Dt- 11-03-2021

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– **सर्प को वन्य प्राणी की श्रेणी में समाहित करने एवं सर्पदंश से मृतक के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान देने हेतु पूर्व प्रावधानों में संशोधन करने के संबंध में।**

महाशय,

आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी प्रावधानों के तहत बाढ़ प्रवन्न क्षेत्र में सर्पदंश से मृत व्यक्ति को ही प्रकृति जनित आपदा घोषित कर अनुग्रह अनुदान राशि 4 लाख रूपये देना प्रावधानित है, लेकिन शेष 9 माह प्रकृति जनित आपदा घोषित नहीं है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग द्वारा वन्य प्राणी से मृत व्यक्ति को 5 लाख अनुग्रह अनुदान राशि देने का प्रावधान है। सर्प भी एक वन्य प्राणी है, लेकिन विभाग द्वारा सर्प को वन्य प्राणी की श्रेणी में नहीं रखा गया है। सर्पदंश से मृत व्यक्ति को वन्य प्राणी द्वारा मृत व्यक्ति की श्रेणी में समाहित न करने से 5 लाख रूपया अनुग्रह अनुदान से वंचित हो जाना पड़ता है।

वन विभाग को इसमें सार्थक पहल करने की आवश्यकता है, ताकि सर्प को भी वन्य प्राणी की श्रेणी में रखने हेतु प्रावधान में संशोधन किया जा सके। सर्पदंश से अकाल मृत्यु प्राप्त व्यक्ति के आश्रित संकट में पड़ जाते हैं। बरसात के मात्र 3 माह तक ही आपदा प्रबंधन विभाग इस पर संज्ञान लेता है लेकिन शेष 9 महीने सर्पदंश से मृत व्यक्ति के आश्रितों को कोई अनुग्रह अनुदान नहीं मिलता। आपके सार्थक पहल से इस समस्या का समाधान हो सकता है।

12/03/21

अतः अनुरोध है कि सर्प को वन्य प्राणी की श्रेणी में समाहित करने के लिए पूर्व के प्रावधानों में संशोधन करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना चाहेंगे।

शुभकामनाओं के साथ!

भवदीय

Nitish Mishra
11·3·21
(नीतीश मिश्रा)

112, कौटिल्य नगर, पटना 800014
Tel. : 0612 222 6263 Fax : 0612 222 5218 E-mail : nitishmishraoffice@gmail.com
/NitishMishraOfficial @mishranitish www.jhanjharpur.co.in